Rajasthan Ex-Servicemen Corporation Limited
(Government of Rajasthan Enterprise)
Address: "Sanjhi Chhat", P-8, Sector-2, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302039
Tele No : 0141–2232956, E- mail : rexcojaipur@gmail.com Website : www.rexco.in
CIN : U74920RJ2012SGC038410, PAN :AAFCR8037E TAN : JPRR06620F & GSTIN: 08AAFCR8037E1ZB

नियम और शर्तें

1. आप निगम के नियमानुसार वेतन और अतिकालिक भत्ता प्राप्त करने के हक़दार होंगे तथापि उपरोक्त वर्णित चिकित्सा भत्ता केवल उसी दशा में वितरण योग्य होगा जब आप कर्मचारी राज्य बीमा अथवा अन्य किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

2. संविदा कर्मियों को निगम तथा प्रधान नियोक्ता के मध्य हुए अनुबन्ध की शर्तानुसार अवकाश प्रदान किए जायेंगे। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि निगम द्वारा अवकाश प्रदान किया जाना अधिकार का विषय नहीं है अपितु यह सर्वधा निगम/प्रधान नियोजक के कार्य की आवश्यकता के अधीन है।

3. यह कि ड्यूटी पर आप निगम द्वारा निशचित अधिकृत वर्दी ही पहनेंगे। वर्दी के उपकरण (बेल्ट के अतिरिक्त) निगम द्वारा दिए जायेंगे। आपक के द्वारा सेवा छोड़ने की दशा में कारण चाहे जो भी रहे हो, आपके द्वारा निगम से प्राप्त हुई चीजें अच्छी एवं उचित स्थिति में वापस की जाएँगी अन्यथा उसके बदले में निश्चित मूल्यों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। निगम अपने विवके से इन चीजों का मूल्य आपको देय राशि से यदि कोई है, काट सकता है।

4. यह कि आपकी नियुक्ति संविदा पर मुख्य अभियोजक द्वारा निर्दिष्ट होगी यथा दो माह/छह माह अथवा एक वर्ष तथा यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी। यह संविदा आपकी नियुक्ति की तिथि आरम्भ होने वाले दो माह/छह माह अथवा 12 वें माह के अंतिम दिवस को तत्काल स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह की निगम, जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, सेवा अवधि की समाप्ति पर सेवा विस्तार के लिए बाध्य नहीं है।

5. यह कि निगम, ठेका श्रम (रेगुलेशन तथा अवालिशन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत ठेकेदार के रूप में आपको प्रधान नियोजक की सथापना में ऐसी सेवाएँ प्रदान करने हेतु जो कि निगम तथा उक्त नियोजक के द्वारा तथा उनके मध्य तय हुई, अभियोजित करेगा। **आपकी नियुक्ति संविदा पर तथा पूर्णतः अस्थाई है तथा निगम इस अवधि के समाप्त होने के उपरान्त आपको नौकरी पर रखने के लिए बाध्य नहीं होगा।** आप स्थाईकरण के अधिकारी भी नहीं होगें। अनुबंध की अवधि में किसी कारणवश उक्त प्रधान नियोजक के साथ अनुबंध समाप्त होने की दशा में आपकी सेवा भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

6. यह कि किसी कारणवश किसी भी समय प्रधान नियोजक द्वारा आपकी सेवाओं की आवश्यक्ता न रहने की दशा में निगम तद्नुसार आपकी सेवाओं का समाप्त करने को विवश होगा तथा आपका इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी। यह विशेष रूप से समझ लिया जाये कि निगम में आपका किसी भी समय कोई नियमित रोजगार प्रदान करने के कर्मकारों का कोई नियमित कैडर नहीं है।

7. यह कि आपकी सेवायें प्रधान नियोजक के एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे नियोजक के यहॉ स्थानान्तरित की जा सकेगी जैसा कि समय–समय पर निगम द्वारा उचित समझा जायेगा जो कि आपको मान्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन न करने पर अनुपालन के लिए आज्ञाप्ति तिथि से आपकी सेवाए स्वतः समाप्त हो जाएगी।

8. निगम के अपने रिर्पोटिंग अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आपके कार्य से अनुपस्थिति रहने की स्थिति में, आप अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दयित्वाधीन होंगे और यदि आप बिना अवकाश लिये लगातार तीन दिन तक बिना ऐसी अनुमति के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी है और निगम में आपका नियोजन आपको बिना किसी अन्य नोटिस के स्वतः समाप्त हो जायेगा।

9. आपकी सेवा की अवधि की समाप्ति पर निगम के पास इन्हीं दशाओं पर उपयुक्त समय पर निगम में लागू ऐसी पुनरीक्षित वेतन वृद्वि के अधीन, आपकी सेवा बढ़ाने का अधिकर सुरक्षित है।

10. यह कि आप निगम की आचार संहिता तथा पूर्ण अनुशासन का पालन करेंगे। आप सदैव उचित तथा साफ सुथरी वर्दी में ड्यूटी पर उपस्थित होंगे तथा अपनी ड्यूटी के अनुपालन में सदैव नियमित समय के पाबन्द, आज्ञकारी तथा आस्थावान रहेंगे तथा अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों, निर्देशों, समादेशों तथा आपको सौपे गय कार्य का पालन एवं निष्पादन तत्परता एवं ईमानदारी से करेंगे। आप ड्यूटी के समय नशीले पदार्थो, मद्यपान तथा बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन से बचेंगे।

11. यह कि आप अपनी सेवा अवधि के दौरान निगम के नियय एवं अनुशासन तथा समय–समय इसके अधिकारियों तथा/अथवा प्रधान नियोजक के द्वारा निर्गत आदेशों तथा निर्देशों का पालन भी करेंगे।

12. यह कि यदि आप ड्यूटी के पालन में किसी असावधानी, अवहेलना तथा किसी अनुशासनहीन, अवज्ञापूर्ण कार्य के दोषी घोषित किये जाते है तो निगम अपने पूर्ण विवेकानुसार आपको सुने जाने का अवसर प्रदान करके, सामान्य नियमों तथा प्रक्रिया के अधीन आपके विरूद्व कार्यवाही करने हेतु अग्रसर हो सकता है। जिसमें नौकरी से हटाया जाना तथा बर्खास्त किया जाना सम्मिलित है। यदि आप निगम/प्रधान नियोजक की सम्पत्तियों को हानि अथवा क्षति पहुॅचाने के लिए कभी दोषी पाये गये तो निगम/प्रधान नियोजकों को पहुंचाई गयी अथवा उनके द्वारा उठायी गयी ऐसी समस्त हानियों एवं क्षति की भरपाई आपको करनी होगी।

13. यह कि किसी भी समय पर यदि आपकी सेवा से संबंधित कोई विवाद आपके व नियुक्ति प्राधिकारी के मध्य उत्पन्न होता है तो ऐसा विवाद निगम के अधिकारियों/अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की एकल मध्यस्थता हेतु निर्देशित किया जायेगा। उपरोक्त एकल मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा आप पर व निगम पर बाध्य होगा। मध्यस्थ, समझौता अधिनियम 1999 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो, के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही करेगा। पक्षकार, मध्यस्था के लिए कानूनी सलाहकारों/अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु आज्ञापित नहीं होंगे।

14. यह कि नियुक्ति का यह प्रस्ताव अनुबंध तक वैध तथा अस्तित्व में रहेगा तथा उपरोक्त तिथि अथवा उससे पूर्व स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए अन्यथा उसके पश्चात उसे निगम द्वारा स्वतः ही वापस लिया हुआ समझा जायेगा।

15. रेक्स्को एक भ्रष्टाचार–मुक्त संस्था है। न स्वंय भ्रष्टाचार करें, न नही किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाव दें । सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाईजर के बीच किसी भी प्रकार का धन का लेन–देन नहीं होना चाहिए।

16. सभी अधिकारियों, कार्यालन (ऑफिस) स्टाफ, नागरिकों तथा विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मानजनक एवं शिष्ट व्यवहार करें।

17. ड्यूटी पर आते एवं जाते समय यातायात के नियमों का पालन करें तथा दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें।

18. यदि किसी पूर्व सैनिक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ड्यूटी करते हुए पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दंड संहिता तथा लागू नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।